

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग – 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

FP/CG/TRANS/11237/2015

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

— रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत ग्राम पुटकापुरी (कोड़ातराई) में 132/33 के व्ही. विद्युत उपकेद्र निर्माण हेतु 1.800 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़ को उपयोग पर देने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव।

(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	—	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	—	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	—	रायगढ़
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	—	1.800 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	—	राजस्व वन
(vi)	हरियाली का घनत्व	—	निरंक
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार कृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. –2मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए।निरंक.....	
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।भू-क्षरण नहीं होगा ।.....	
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी ।प्रस्तावित स्थल राजस्व वन सीमा के अंदर है ।.....	
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है । (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)नहीं है ।	
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।नहीं पाया जाता ।.....	

- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।
.....नहीं है।.....
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग—1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के व्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।
.....प्रस्तावित राजस्व वन भूमि की मांग न्यूनतम का प्रमाण पत्र संलग्न है।.....
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।
.....नहीं किया गया है प्रमाण पत्र संलग्न है।.....
10. **प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा**
प्रभावित वनभूमि के बदले दुगुने बिगड़े वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 3.600 हे. प्रस्तावित किया गया है। जिसमें 9000 साल पौधे का वृक्षारोपण किया जावेगा।
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू—खण्डों की संख्या प्रत्येक भू—खण्डों का आकार।
प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1235 प्रस्तावित में प्रस्तावित किया गया है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 3.600 हे. एक ही भू—खण्ड में किया जावेगा।
 - (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि के आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप संलग्न है।
 - (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
 - (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये राशि रु. 1964362/-राशि का योजना तैयार किया गया है। राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
 - (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।)
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)
जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
- विभाग/जिला प्रोफाईल**

- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।
..... नहीं है।.....
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग—1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।
..... प्रस्तावित राजस्व वन भूमि की मांग न्यूनतम का प्रमाण पत्र संलग्न है।.....
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।
..... नहीं किया गया है प्रमाण पत्र संलग्न है।.....
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा
प्रभावित वनभूमि के बदले दुगुने बिगड़े वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 3.600 है। प्रस्तावित किया गया है। जिसमें 9000 साल पौधे का वृक्षारोपण किया जावेगा।
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू—खण्डों की संख्या प्रत्येक भू—खण्डों का आकार।
प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1235 प्रस्तावित में प्रस्तावित किया गया है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 3.600 है। एक ही भू—खण्ड में किया जावेगा।
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि के आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप संलग्न है।
(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये राशि रु. 1964362/-राशि का योजना तैयार किया गया है। राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।)
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)
जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
विभाग/जिला प्रोफाईल

(4)

- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र 6836.00 वर्ग कि.मी.
- (ii) जिले का वन क्षेत्र 2005.475 वर्ग कि.मी.
- (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से बनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।
..... 48/3198.408 है
- (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि ।
..... निरंक
- (ख) बनेतर भूमि पर ।
..... निरंक
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ अंतर्गत कुल स्वीकृत क्षेत्र 3198.408 है. है। जिसके विरुद्ध 1592.130 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया है। शेष क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है।

12. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

संस्थान द्वारा रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत रागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम पुटकापुरी (कोड़ातराई) में 132/33 के व्ही. विद्युत उपकेद्र निर्माण हेतु 1.800 है। राजस्व वन भूमि के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। अतः प्रस्ताव स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

१.
हस्ताक्षर
नाम विजया वि. कुम
सरकारी सोहर वन मञ्चलाधिकारी
रायगढ़, वनमण्डल

दिनांक:— 26.10.2016

स्थान:— Raigarh

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. परियोजना का नाम	:	रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत ग्राम पुटकापुरी (कोड़ातराई) में 132/33 के.व्ही. विद्युत उपकेद्र निर्माण हेतु 1.800 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़ को उपयोग पर देने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव।
2. आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	:	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़
3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	:	1.800 हे.
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:	जिला वनमण्डल परियोजना स्थल रायगढ़ रायगढ़ पुटकापुरी (कोड़ातराई)
5. वन भूमि का विस्तृत विवरण	:	वनखण्ड कक्ष क्र. आवेदित क्षेत्र /खसरा क्र. क. आरक्षित वन निरंक निरंक निरंक ख. सीमांकित संरक्षित वन निरंक निरंक निरंक योग : _____ 0.000
	:	ग. असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी वन) निरंक निरंक निरंक घ. राजस्व वन क्षेत्र राजस्व वन भूमि 133/1 1.800
6. आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	:	राजस्व वन भूमि
7. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	:	निरंक
8. आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	:	-
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. /वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	:	संबंधित नहीं है।
10. क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान,	:	नहीं है।

अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजव, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदत करें।

11. आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)
12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देवें।

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गयी वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है/नहीं की जाती है।

निरीक्षण स्थल :— पुटकापुरी (कोड़ातराई)

दिनांक :— २६.१०.२०१६

१. बिन्दा बि.कृष्ण
मुख्य वन संरक्षक/व.म.अ. के हस्ताक्षर
बिलासपुर वृत्त/रायगढ़ वनमण्डल वनमण्डल अधिकारी
मय सील रायगढ़, वनमण्डल